सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-2295/BR/11/2025-RU-IV

दिनांक : 18.07.2025

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला-बगहा , पश्चिम चंपारण
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
नरईपुर, बगहा, बिहार 845101
Email Id: sp-bagah-bih@nic.in

विषय: थाना प्रभारी थाना-रामनगर जिला- पश्चिम चंपारण (बिहार) द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के घर रात्रि में घुसकर, घर की महिलाओं और नाबालिग बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, वयोवृद्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट, न्यायालय के आदेश के बिना पकड़कर थाने में रखने के बाद किसी दूसरे नाम के व्यक्ति के वारंट में कूट रचना कर न्यायालय में चालान करने पर थाना प्रभारी, थाना-रामनगर पर मुकदमा दर्ज करने के संबंध में- श्री राजेन्द्र प्रसाद साह, पुत्र श्री भोला साह, ग्राम-मेघवल मठिया, जिला- पश्चिम चंपारण (बिहार) का दिनांक 12.02.2024 का पत्र/अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य श्री निरूपम चाकमा की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2025 को सभाकक्ष, अतिथि गृह, बेतिया, जिला – पश्चिम चंपारण, बिहार मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

Encl: as above

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री राजेन्द्र प्रसाद साह,
पुत्र श्री भोला साह,
ग्राम-मेघवल मठिया,
जिला- पश्चिम चंपारण (बिहार)
Mobile No:8077262232

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

उक्त गंभीर प्रकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 02.07.2025 को श्री निरूपम चाकमा, माननीय सदस्य की अध्यक्षता में जिला पश्चिम चंपारण के अतिथि गृह स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक, बगहा उपस्थित रहे। उन्होंने आयोग को सूचित किया कि थाना प्रभारी श्री ललन कुमार को वर्तमान प्रकरण तथा एक अन्य प्रकरण में निलंबित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत पुलिस उपमहानिरीक्षक, चंपारण रेंज, बेतिया की जांच रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात, यह पुष्टि हुई कि गिरफ्तारी हेतु जारी वारंट एक मृत व्यक्ति के नाम पर था, जबकि अभ्यावेदक के पिता पूरी तरह निर्दोष एवं भिन्न पहचान वाले हैं। फिर भी थाना प्रभारी द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग, बिना महिला पुलिस की उपस्थिति के घर में प्रवेश, एवं परिवारजनों के साथ सार्वजनिक अपमान तथा जातिसूचक व्यवहार किया गया, जो न केवल संवैधानिक और विधिक प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है, बल्कि अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के अधिकारों का गंभीर हनन है।

आयोग द्वारा यह भी इंगित किया गया कि थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध स्थानीय व्यक्तियों के साथ मिलीभगत में प्रतीत होती है, जिससे जातिगत द्वेष की संभावना प्रबल होती है। बार-बार की शिकायतों के बावजूद प्राथमिकी न दर्ज किया जाना संस्थागत निष्क्रियता का द्योतक है और न्याय के दमन की गंभीर आशंका उत्पन्न करता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ हैं —

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत थाना प्रभारी श्री ललन कुमार एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए।
2. दोषियों की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु थाना प्रभारी एवं संलिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध समयबद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जाए।
3. शिकायतकर्ता एवं उनके परिवार को संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे उन्हें आगे किसी प्रकार के उत्पीड़न, भय अथवा धमकी का सामना न करना पड़े।

निरुपम चाकमा / Nirupam Chakma
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली / New Delhi

उक्त गंभीर प्रकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 02.07.2025 को श्री निरूपम चाकमा, माननीय सदस्य की अध्यक्षता में जिला पश्चिम चंपारण के अतिथि गृह स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक, बगहा उपस्थित रहे। उन्होंने आयोग को सूचित किया कि थाना प्रभारी श्री ललन कुमार को वर्तमान प्रकरण तथा एक अन्य प्रकरण में निलंबित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत पुलिस उपमहानिरीक्षक, चंपारण रेंज, बेतिया की जांच रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात, यह पुष्टि हुई कि गिरफ्तारी हेतु जारी वारंट एक मृत व्यक्ति के नाम पर था, जबकि अभ्यावेदक के पिता पूरी तरह निर्दोष एवं भिन्न पहचान वाले हैं। फिर भी थाना प्रभारी द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग, बिना महिला पुलिस की उपस्थिति के घर में प्रवेश, एवं परिवारजनों के साथ सार्वजनिक अपमान तथा जातिसूचक व्यवहार किया गया, जो न केवल संवैधानिक और विधिक प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है, बल्कि अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के अधिकारों का गंभीर हनन है।

आयोग द्वारा यह भी इंगित किया गया कि थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध स्थानीय व्यक्तियों के साथ मिलीभगत में प्रतीत होती है, जिससे जातिगत द्वेष की संभावना प्रबल होती है। बार-बार की शिकायतों के बावजूद प्राथमिकी न दर्ज किया जाना संस्थागत निष्क्रियता का द्योतक है और न्याय के दमन की गंभीर आशंका उत्पन्न करता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ हैं —

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत थाना प्रभारी श्री ललन कुमार एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए।
2. दोषियों की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु थाना प्रभारी एवं संलिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध समयबद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जाए।
3. शिकायतकर्ता एवं उनके परिवार को संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे उन्हें आगे किसी प्रकार के उत्पीड़न, भय अथवा धमकी का सामना न करना पड़े।

निरुपम चाकमा / Nirupam Chakma
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली / New Delhi

4. प्रकरण की निगरानी एक नामित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए, ताकि समस्त कार्यवाही पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षणों के अनुरूप संपन्न हो।
5. संबंधित विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इन अनुशंसाओं के निर्गमन की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report - ATR) आयोग को प्रस्तुत करे।

(श्री निरूपम चाकमा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

निरुपम चाकमा / Nirupam Chakma
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली / New Delhi

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

***

File No.- NCST/ATY-2295/BR/11/2025 Date: 02-07-2025

Venue: Meeting Hall, Guest House W. Champaran

Subject: मा० सदस्य श्री निरुपम चाकमा की अध्यक्षता में अनुच्छेद 338 क के खंड 8 के तहत बैठक।

LIST OF PARTICIPANTS/ ATTENDANCE SHEET

S.N.	Name of Officer/ Official	Designation	Contact No.	Signature
1.	Sushant Kr Saroj	SP Bagaha	9431822986	[illegible] 02/07